न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2019

अनवान :

1. कुलदीप
2. सुभाष चन्द्र

} पि0 प्रताप जाति जाट निवासी निवासीगण कुजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. सुमन पुत्री प्रताप जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण

निर्णय **दिनांक : 06-2-2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव कुंजी के खाता सं0 90/85 के खसरा नं0 178/1 की 2.1120 है0, खसरा नं0 179 की 0.1510 है0, खसरा नं0 184/3 की 1.3410 है0, खसरा नं0 233/2 की की 5.1850 है0, खसरा नं0 237 की 0.5560 है0, कुल 9.3450 है0 बारानी कृषि भूमि है जो प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 सुमन का जन्म से प्रतिवादी सं0 1 के साथ हक हिस्सा है। प्रतिवादी प्रतापसिंह को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अकेले के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं0 2 सुमन ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों कुलदीप व सुभाषचन्द्र के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में प्रतिवादी प्रतापसिंह 1/4 हिस्सा तथा वादीगण कुलदीप व सुभाष चन्द्र 3/4 हिस्सा के संयुक्तरूप से खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम कुंजी खाता सं0 90/85 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 सुमन का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 2 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम कुंजी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है तथा वाद भूमि संयुक्त हिनदू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई सम्पति है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम कुंजी खाता सं0 90/85 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है जिसमें पूर्व की प्रविष्टि वादी के दादा मनीराम वल्द लालचन्द के नाम दर्ज है उसके बाद की प्रविष्टि में मनीराम की फौतगी के बाद इंतकाल सं0 519 से विरासतन प्रतापसिंह व मनीराम के अन्य वारिसान के नाम कृषि भूमि दर्ज हुई है जिससे वाद भूमि मनीराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त होना व दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतापसिंह के वारिसान में पत्नी गोरादेवी, दो पुत्र कुलदीप व सुभाषचन्द्र एक पुत्री सुमन होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव कुंजी के ख़ाता सं0 90/85 के खसरा नं0 178/1 की 2.1120 है0, खसरा नं0 179 की 0.1510 है0, खसरा नं0 184/3 की 1.3410 है0, खसरा नं0 233/2 की की 5.1850 है0, खसरा नं0 237 की 0.5560 है0, कुल 9.3450 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम दर्ज खातेदारी में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह के बजाय वादीगण बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद कृषि भूमि दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-2-202 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2019

अनवान :

1. कुलदीप
2. सुभाष चन्द्र

} पि0 प्रताप जाति जाट निवासी निवासीगण कुजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. सुमन पुत्री प्रताप जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रामस्वरूप देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव कुंजी के खाता सं0 90/85 के खसरा नं0 178/1 की 2.1120 है0, खसरा नं0 179 की 0.1510 है0, खसरा नं0 184/3 की 1.3410 है0, खसरा नं0 233/2 की की 5.1850 है0, खसरा नं0 237 की 0.5560 है0, कुल 9.3450 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम दर्ज खातेदारी में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह के बजाय वादीगण बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद कृषि भूमि दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:55:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: